



43

न्यायालय माननाय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-

/2016 निगरानी

क्रमांक 884-113/16

श्री. काटू मंगल सिंह काटू
द्वारा आज दि. 10.6.16 को
प्रस्तुत

वकील
वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

भगवान दास पुत्र स्व. श्री किशोरी
आयु-67 वर्ष, व्यवसाय-सेवानिवृत्त
निवासी- शीलनगर नाईस स्कूल के पास
जिला ग्वालियर म.प्र.

— निगरानीकर्ता / प्रतिअपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती हेमवती उर्फ छोटी जाटब पत्नी
ताराचंद जाटब, पुत्री स्व. किशोरी
निवासी-तुलसा टेलर्स के पास बजरिया
ढोली बुआ का पुल, लश्कर ग्वालियर म.प्र.
2. भग्गोबाई बेबा किशोरी मृतक वाद वारिसान
- ए. श्रीमती मुन्नी पत्नी सावलिया पुत्री किशोरी
निवासी- तिकोनिया मुरार जिला ग्वालियर
म.प्र.
3. श्रीमती संतो पत्नी शोभाराम पुत्री किशोरी
निवासी-भीमनगर मुरार जिला ग्वालियर
म.प्र.

— अनावेदकगण / अपीलार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 भूरा.संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक-18
-04-2016 पारित अंतर्गत अपील क्रमांक-27/2015-2016 अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व ग्रामीण ग्वालियर म.प्र.जिसमें प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिनांक
-27-08-1994 में पारित आदेश पंजी नामान्तरण के विरुद्ध प्रस्तुत की
गयी है।



आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

आल. 10/6/16
10/6/16

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1884/पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> जि.क.</p>	<p> अध्यक्ष</p>